माननीय न्यायमूर्ति जे. एस. सेखों और ए. एस. नेहरा के समक्ष,

सरकारी खाद्य निरीक्षक-याचिकाकर्ता

बनाम

हनुमान सिंह, प्रतिवादी.

**1990** की आपराधिक अपील संख्या **365** डी बी ए

**27** अप्रैल **1994**

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954-एस.एस. 2(ix) (e), 2(v), 7, 11 (i) (b) और 16(1) (a) (i)- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम।

1955—रिस. 29(जीजी) और 55(15)-शराब की ताकत की गलत ब्रांडिंग-55° घोषित करने वाला लेबल विश्लेषण पर पाया गया 51.99°-शराब 'खाद्य' के लेख की परिभाषा में आती है-व्हिस्की या अन्य मादक पेय पदार्थों के लिए अल्कोहलिक ताकत का मानक इसके तहत निर्धारित नहीं है नियम गलत ब्रांडिंग को दंडनीय नहीं बनाएंगे - शराब की ताकत के मानक तय न करने के आधार पर बरी करना अनुचित है - प्रतिवादी को दोषी ठहराया जा सकता है - अदालत, हालांकि कारावास को पहले से ही भुगती गई अवधि तक सीमित कर रही है - 5,000 का जुर्माना लगाया गया

अभिनिर्धारित किया गया कि "भोजन" की परिभाषा के तहत शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) को बाहर नहीं रखा गया है। नियमों का नियम 29(जीजी) इंगित करता है कि अल्कोहल पेय में कोलतार डाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। नियमों के नियम 55 में क्रम संख्या 15 पर अल्कोहलिक वाइन का उल्लेख है। इसलिए, वाइन, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) खाद्य पदार्थ हैं। अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत किसी खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग करना अपराध है।

पैरा 9

अभिनिर्धारित किया गया कि हालांकि नियमों के तहत व्हिस्की या अन्य मादक पेय पदार्थों के लिए अल्कोहलिक शक्ति का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। 'भोजन' की परिभाषा के तहत, शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (नशीले पदार्थों) को विधायिका द्वारा बाहर नहीं रखा गया है। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 29 में संकेत दिया गया है कि मादक पेय पदार्थों में कोल टार डाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। नियमों का नियम 55 अल्कोहलिक वाइन से भी संबंधित है। इसलिए, शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) अधिनियम में दी गई 'भोजन' की परिभाषा के अनुसार खाद्य पदार्थ हैं।

पैरा 10

इसके अलावा, यह तथ्य कि खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है, को तार बलबीर सिंह के मामले, कृष्ण लाल के मामले, चमन लाल के मामले और इस अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया था। पवन कुमार उर्फ पवन सिंह का मामला (आपराधिक मुकदमा संख्या 12934-एम 1991 का फैसला 21 अप्रैल 1993 को हुआ)। इसलिए, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों को खारिज किया जाता है।

तार बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1986 (द्वितीय) एफएसी 152

चमन लाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य, सीआरएमएल। विविध 1981 का नंबर 5600-एम, 22 जुलाई 1982 को निर्णय लिया गया।

कृष्ण लाल बनाम हरियाणा राज्य, 1990(1), हालिया आपराधिक रिपोर्ट 476, और

पवन कुमार उर्फ पवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य सी.आर.एम.एल. विविध क्रमांक 12934-एम 1991, 21 अप्रैल 1993 को निर्णय लिया गया।

`3. याचिकाकर्ता के लिए सी. सेठी, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, डी. एस. बिश्नोई, डी.ए.जी., हरियाणा।

प्रतिवादी की ओर से वकील हरि मित्तल और प्रमोद मित्तल।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति ए. एस नेहरा

(1) यह अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारनौल द्वारा पारित 9 अक्टूबर 1989 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिस पर हनुमान सिंह ने आरोप लगाया था, उसे धारा 16(1) (ए) (आई) के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा)।

(2) 13 नवंबर 1987 को श्री मेघनाथ, खाद्य निरीक्षक, डॉ. एस.पी. सिंह के साथ खाद्य पदार्थों का नमूना लेने के सिलसिले में ग्राम बुचावास के बस स्टैंड पर उपस्थित थे; फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर के साथ मैसर्स के बस स्टैंड बुचावास स्थित शराब के ठेके पर गए। बहादुर सिंह एंड कंपनी. ठेले पर सेल्समैन के रूप में हनुमान सिंह बैठा था। खाद्य निरीक्षक ने अपनी पहचान बताई और शराब का नमूना लेने के लिए मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि देशी शराब मार्का जगाधरी नंबर 1 के छह निप्स सार्वजनिक बिक्री के लिए दुकान में पड़े थे। उस समय एक सार्वजनिक व्यक्ति मोहिंदर सिंह भी मौजूद थे। खाद्य निरीक्षक ने आरोपी को नोटिस एक्ज़िबिट पी.ए, दीया और आरोपी से शराब का नमूना देने की मांग की। फिर खाद्य निरीक्षक ने 27 रुपये के भुगतान पर तीन निप शराब मार्क जगाधरी नंबर 1 खरीदी।—प्राप्ति के माध्यम से उदाहरणार्थ। पंजाब. सूचना एक्ज़िबिट पीए और रसीद एक्ज़िबिट पीबी पर अंगूठे का निशान लगाया गया और हनुमान सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए और डॉ. एस.पी. सिंह और मोहिंदर सिंह द्वारा सत्यापित किए गए। खरीदी गई शराब की प्रत्येक बोतल सीलबंद स्थिति में थी। टैक निप को लेबल किया गया था और उसकी गर्दन पर डॉक्टर की एक मुहर के साथ फिर से सील कर दिया गया था। फिर प्रत्येक निप को एक मजबूत मोटे कागज में लपेटा जाता था, जिसके दोनों सिरों को मोड़कर गोंद से चिपका दिया जाता था प्रत्येक बोतल के रैपर पर ऊपर से नीचे तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीरियल नंबर, कोड नंबर और हस्ताक्षर वाली एक पेपर स्लिप चिपकाई गई थी। फिर प्रत्येक बोतल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक धागे से बांध दिया गया और फिर से डॉक्टर की एक मुहर और खाद्य निरीक्षक की चार मुहरों से सील कर दिया गया। प्रत्येक बोतल पर अभियुक्तों के अंगूठे के निशान इस तरह से प्राप्त किए गए ताकि आधे अंगूठे का निशान रैपर पर आए और शेष आधा कागज की पर्ची पर आए। स्पॉट मेमो एक्ज़िबिट पी.डी. तैयार की गई। इसे गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया था और

अभियुक्त द्वारा अंगूठा लगाया गया था और हस्ताक्षर किए गए थे। मौके पर फॉर्म VII में ज्ञापन की पांच प्रतियां तैयार की गईं। नमूने के एक भाग के साथ एक प्रति एक सीलबंद पैकेट है जिसे विश्लेषण के लिए सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ को भेजा गया था। फॉर्म संख्या VII में ज्ञापन की एक प्रति सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी अलग से भेजी गई थी।,

प्रपत्र संख्या VII में ज्ञापन की दो प्रतियों के साथ शेष दो भाग 14 नवंबर, 1987 को स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नारनौल के पास जमा कर दिए गए। सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ ने नमूने का विश्लेषण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्शनी पीएच को विस्तृत किया। राय दी गई कि नमूने ने 55° प्रमाण की लेबल घोषणा के मुकाबले अल्कोहलिक शक्ति 51.99° प्रमाण दिया। लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट की चार प्रतियां स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नारनौल को भेजीं। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नारनौल ने खाद्य निरीक्षक को रिपोर्ट की दो प्रतियां भेजकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को कहा था। खाद्य निरीक्षक, महेंद्रगढ़ ने अदालत में शिकायत प्रस्तुत की और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सूचित किया, जिन्होंने पंजीकृत डाक के माध्यम से कवरिंग लेटर एक्ज़िबिट पीसी के साथ रिपोर्ट एक्ज़िबिट पीएच की एक प्रति आरोपी को भेजी। एक्ज़िबिट पीसी/2 डाक रसीद है और एक्ज़िबिट पीसी/1 पंजीकृत एडी है। पंजीकृत पत्र एक्ज़िबिट पीसी इस रिपोर्ट के साथ बिना डिलीवर हुए वापस आ गया कि दुकान पर कोई सेल्समैन नहीं था। इसके बाद, आरोपी अदालत में उपस्थित हुआ और नमूने का दूसरा भाग निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भेजने के लिए आवेदन किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एक्ज़िबिट पीके के माध्यम से कहा कि नमूना गलत ब्रांडेड था, और डिग्री प्रमाण के रूप में व्यक्त की गई अल्कोहल सामग्री 55° प्रमाण ओबीएस 0.3° के घोषित मूल्य से नीचे आती है। आरोप का सार 12 अक्टूबर, 1988 के एक आदेश के माध्यम से अभियुक्त को बताया गया था। अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

(3) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए मेघ नाथ फूड इंस्पेक्टर पीडब्लू-1 और डॉ. एस. पी. सिंह पीडब्लू-2 की जांच की और साक्ष्य को बंद कर दिया।

(4) आरोपी से आपराधिक प्रक्रिया। संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई उसने फिर खुद को निर्दोष बताया।

(5) ट्रायल कोर्ट तार बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1988 (द्वितीय) एफ.ए.सी. 152), और आपराधिक मामले में दिए गए निर्णयों पर भरोसा कर रहा है। 1981 की सी आर एम संख्या 5600- (चमन लाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य), 22 जुलाई, 1982 को निर्णय दिया गया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अल्कोहल शक्ति का कोई मानक निर्धारित नहीं है। 1954, ट्रायल कोर्ट ने अनिल कुमार बनाम फूड इंस्पेक्टर, टिंड (1982 (1) एफ.ए.सी. 9) के फैसले पर भी भरोसा किया और माना कि अधिनियम की धारा II(i)(b) का अनुपालन नहीं किया गया है।

(6) श्री जे.सी. सेठी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा ने तर्क दिया है कि खाद्य निरीक्षक ने सार्वजनिक विश्लेषक और स्थानीय के पास नमूने भेजने और जमा करने के संबंध में अधिनियम और नियमों के अनिवार्य स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रावधानों का अनुपालन किया है। क्रमशः उन्होंने आगे कहा है कि सार्वजनिक विश्लेषक को नमूना सीलबंद स्थिति में प्राप्त हुआ था; कि उसने नमूनों की सील की तुलना खाद्य निरीक्षक द्वारा उसे अलग से भेजे गए नमूना सील छाप से की; उन्होंने नमूने का विश्लेषण किया और पाया कि नमूने की अल्कोहलिक शक्ति ने 55° आईप्रूफ़ के लेबल घोषणा के मुकाबले अल्कोहलिक शक्ति को 51.99° प्रमाण दिया और इसलिए, अल्कोहल का नमूना गलत ब्रांडेड था। इसलिए, श्री सेठी ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है और इसलिए, वह दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(7) हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे.सी. सेठी ने आगे तर्क दिया कि "खाद्य वस्तु" शब्द में मनुष्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुएं शामिल होंगी और इस प्रकार, भले ही नियमों के तहत शराब का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया हो, फिर भी यह होगा अधिनियम की धारा 2(ix)( इ) में परिभाषित खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग का मामला। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने जिला स्वास्थ्य चिकित्सा

अधिकारी सिटी बोर्ड, मसूरी, देहरादून बनाम असरार सिंह और अन्य (1974 अखिल भारतीय, खाद्य अपमिश्रण निवारण मामले 470) पर भरोसा किया है।

(8) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री हरि मित्तल ने कहा है कि अधिनियम और नियमों के तहत शराब की ताकत का कोई मानक निर्धारित नहीं है और शराब को अधिनियम में परिभाषित 'भोजन' नहीं माना जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने कृष्ण लाई बनाम हरियाणा राज्य (1990 (1) हालिया आपराधिक रिपोर्ट 476), आपराधिक विविध पर भरोसा किया है। सी आर एम संख्या 12934-एम 1991 (पवन कुमार उर्फ पवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य) पर इस न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 1993 को निर्णय दिया गया: और तार बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1986 (द्वितीय) एफ.ए.सी. 152)।

अधिनियम के अंतर्गत धारा 2(v) में भोजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"'खाद्य' का अर्थ दवाओं और पानी के अलावा मानव उपभोग के लिए भोजन या पेय के रूप में उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु है और इसमें शामिल हैं-

(ए) कोई भी वस्तु जो आम तौर पर मानव भोजन की संरचना या तैयारी में शामिल होती है या उपयोग की जाती है;

(बी) कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ या मसाला, और

(सी) कोई अन्य वस्तु जिसे केंद्र सरकार, इसके उपयोग, प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भोजन के रूप में घोषित कर सकती है।

'गलत ब्रांड' को अधिनियम की धारा 2(ix) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

"गलतब्रांडेड"-खाद्य वस्तु को गलतब्रांडेड माना जाएगा-

(ई) यदि लेबल पर इसके लिए झूठे दावे किए गए हैं तो अन्यथा;

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाएगा) के नियम 29 (जीजी) और नियम 55 (15) इस प्रकार पढ़ें: -

“ अनुमत कोयला टार खाद्य रंगों का उपयोग निषिद्ध है: - निषिद्ध नीचे सूचीबद्ध रंगों के अलावा किसी अन्य रंग में या उस पर अनुमत कोयला टार खाद्य रंगों का उपयोग:-

(जीजी) 21 मई 1977 तक की अवधि के लिए मादक पेय।

श्रेणी II परिरक्षकों का उपयोग प्रतिबंधित। - श्रेणी II परिरक्षकों का उपयोग निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के समूह तक सीमित होगा, जिनकी सांद्रता प्रत्येक के सामने नीचे दिए गए अनुपात से अधिक नहीं होगी: -

अनुच्छेद एफ खाद्य परिरक्षक भाग प्रति मिलियन

15 अल्कोहलिक वाइन सल्फर डाइऑक्साइड 450

(9) "भोजन" की परिभाषा के तहत शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) को बाहर नहीं रखा गया है- नियम 29(जीजी)

नियमों में यह दर्शाया गया है कि मादक पेय पदार्थों में कोल टार डाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। नियमों के नियम 55 में, अल्कोहलिक वाइन का उल्लेख क्रमांक 15 पर किया गया है; इसलिए, शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) खाद्य पदार्थ हैं। अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत किसी खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग करना अपराध है। अधिनियम की धारा 7 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“7. कतिपय खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा:-

(i) कोई भी मिलावटी भोजन;

(ii) कोई भी गलत ब्रांड वाला भोजन;

(iii) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार छोड़कर;

(iv) खाद्य पदार्थ की कोई भी वस्तु जिसकी बिक्री सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा फिलहाल प्रतिबंधित है;

(v) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में खाद्य पदार्थ का कोई भी लेख; या

(vi) कोई भी मिलावटी पदार्थ।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन या गलत ब्रांड वाले भोजन या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण करने वाला माना जाएगा यदि वह है खाद्य पदार्थ के किसी भी लेख के निर्माण के लिए ऐसा भोजन बिक्री के लिए भंडारण करता ।

(10) हालांकि नियमों के तहत व्हिस्की या अन्य मादक पेय पदार्थों के लिए अल्कोहल शक्ति का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन 'भोजन' की परिभाषा के तहत, शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (नशीले पदार्थों) को विधायिका द्वारा बाहर नहीं रखा गया है। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 29 में संकेत दिया गया है कि मादक पेय पदार्थों में कोल टार डाई के उपयोग की अनुमति नहीं है। नियमों का नियम 55 अल्कोहलिक वाइन से भी संबंधित है। इसलिए, शराब, शराब और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं (नशीले पदार्थ) अधिनियम में दी गई 'भोजन' की परिभाषा के अनुसार खाद्य पदार्थ है सार्वजनिक विश्लेषक, हरियाणा, चंडीगढ़ की रिपोर्ट (प्रदर्शनी पीएच) के अनुसार, नमूने ने 55° प्रमाण के लेबल घोषणा के मुकाबले अल्कोहलिक ताकत 51.99° प्रमाण दिया। इसलिए, सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा विश्लेषण किया गया नमूना गलत ब्रांडेड है। खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत दंडनीय है। यह तथ्य कि खाद्य पदार्थ की गलत ब्रांडिंग अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है, तार बलबीर सिंह के मामले (सुप्रा), कृष्ण लाई के मामले (सुप्रा), चमन लाई के मामले में इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। मामला (सुप्रा), और पवन कुमार उर्फ पवन सिंह का मामला (आपराधिक विविध संख्या 12934-एम, 1991--सुप्रा- 21 अप्रैल, 1993 को निर्णय लिया गया)। इसलिए, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों को खारिज किया जाता है।

(11) खाद्य निरीक्षक इंस्पेक्टर ने पाया कि जगाधरी नंबर 1 सार्वजनिक बिक्री के लिए पड़ा हुआ है। उन्होंने रुपये का भुगतान करके तीन निप्स शराब मार्क जगाधरी नंबर 1 खरीदा। 27, खरीदी गई शराब का प्रत्येक टुकड़ा सीलबंद हालत में था। प्रत्येक निप पर लेबल लगाया गया था और उसकी गर्दन पर डॉक्टर की एक मुहर

के साथ फिर से सील कर दिया गया था। फिर प्रत्येक निप को एक मजबूत मोटे कागज में लपेटा जाता था, जिसके दोनों सिरों को मोड़कर गोंद से चिपका दिया जाता था। प्रत्येक बोतल के रैपर पर ऊपर से नीचे तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीरियल नंबर, कोड नंबर और हस्ताक्षर वाली एक पेपर स्लिप चिपकाई गई थी। फिर प्रत्येक बोतल को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक धागे से बांध दिया गया और फिर से डॉक्टर की एक मुहर और खाद्य निरीक्षक की चार मुहरों से सील कर दिया गया। प्रत्येक बोतल पर आरोपी-प्रतिवादी के अंगूठे के निशान इस तरह से प्राप्त किए गए ताकि आधे अंगूठे का निशान रैपर पर आए और शेष नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था। सार्वजनिक विश्लेषक ने अपनी राय दी जैसा कि फैसले के पहले भाग में बताया गया है। इसलिए, खाद्य निरीक्षक द्वारा खरीदी गई शराब की तीन निप्स गलत ब्रांडेड पाई गई हैं और अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि प्रतिवादी से खरीदी गई शराब मार्क जगाधरी नंबर 1 की तीन निप्स गलत ब्रांडेड थीं। इसलिए, प्रतिवादी दोषी ठहराए जाने योग्य है।

(12) अनिल71कुमार का मामला पी (सुप्रा), ट्रायल द्वारा विश्वसनीय- वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि, इस मामले में, हम मिलावट के नहीं बल्कि गलत ब्रांडिंग के मामले से निपट रहे हैं। अनिल कुमार का मामला (सुप्रा) एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में कार्बोनेटेड पानी की बोतलों में सैक्रिन पाया गया था इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किए गए अनिल कुमार के मामले (सुप्रा) से प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट ने उस पर भरोसा करके गलती की है।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि प्रतिवादी शराब के निप्स की गलत ब्रांडिंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारनौल द्वारा पारित 9 अक्टूबर, 1989 के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 निवारण की धारा 16 (1) (ए) (आई) के तहत दोषी ठहराया जाता है।

(14) नमूना 13 नवंबर, 1987 को लिया गया था। शिकायत 11 जनवरी, 1988 को अदालत में दायर की गई थी और प्रतिवादी का मुकदमा 9 अक्टूबर, 1989 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समाप्त किया गया था। 1990 से, यह अपील है इस न्यायालय में लंबित है। सात साल की यह लंबी मुकदमेबाजी ही प्रतिवादी के साथ नरम व्यवहार करने का आधार है। इसी तरह के एक मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्म दास बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (6) खाद्य अपमिश्रण निवारण मामले 13, अभियुक्तों की सजा को पहले ही कम कर दिया है। हालांकि प्रतिवादी को छह महीने के लिए कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा दी जा सकती है।, लेकिन, हलात को देखते हुए, ऊपर वर्णित परिस्थितियों और प्रतिवादी को सात वर्षों तक लंबी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा है और पर्याप्त उत्पीड़न सहना पड़ा है, हम इसे एक उपयुक्त मामला पाते हैं जहां इस स्तर पर प्रतिवादी को जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। परिणामस्वरूप, हम प्रतिवादी को उस अवधि के लिए कारावास की सजा देते हैं जो वह पहले ही काट चुका है और 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करता है। और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(15) इस न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस निर्णय की एक प्रति निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पंजाब को भेजने का निर्देश दिया जाता है; निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ , पंजाब; निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हरियाणा; और निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस फैसले की प्रतियां अपने संबंधित राज्यों के सभी खाद्य निरीक्षकों को भेजें।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

**आकाश जिंदल**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer)**

**गुरूग्राम, हरियाणा**